

मीडिया कल, आज और कल

निशा सिरौही, डॉ० महावीर सिंह, डॉ० प्रशांत कुमार

शोध छात्रा, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

सारांश

देश की आजादी से लेकर विकास की जागृति तक मीडिया ने हर दशक में अपना अहम किरदार निभाया है। प्रेस के प्रादुर्भाव के समय में किसी ने यह नहीं सोचा होगा कि देश की आजादी के 70 साल पूरे होने तक प्रेस हर घर की जरूरत बन जायेगा। देश की स्वतंत्रता के समय देशवासियों को एकत्र करना हो या वर्तमान में देश की उपस्थियों के बारे में जागृत् करना हो। मीडिया अपना कार्य निरन्तर किये जा रहा है। आज की बात करे तो प्रेस ने मीडिया का रास्ता लेते हुए एक नये युग में कदम रखना शुरू कर दिया जिसे वेब जर्नलिज्म कहा जाता है। अब वह समय दूर नहीं है जब प्रेस के अधिकांश क्षेत्र पर वेब जर्नलिज्म अपना अधिकार कर लेगा।

शोध पत्र का संक्षिप्त
विवरण निम्न प्रकार है:

निशा सिरौही,

“मीडिया कल, आज
और कल”

शोध मंथन,

सितम्बर 2017,

पेज सं० 90–99

<http://anubooks.com/>

?page_id=581

Article No.15 (SM 453)

प्रस्तावना

मिशन के दौर से चली पत्रकारिता आज व्यवसायिक का रूप धारण कर चुकी है। पत्रकारिता आजादी पाने के लिए एक मिशन बनकर कार्य करती थी। उनका एक मात्र लक्ष्य देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना था। वहीं आजादी के बाद पत्रकारिता का रूप बिल्कुल अलग हो गया है, आज पत्रकारिता व्यवसाय बन चुकी है।

स्वतंत्रता से राष्ट्रीय जीवन और मूल्यों में भारी परिवर्तन आया है। पत्रकारिता के उद्देश्य परिवर्तित हो गये हैं। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई है। स्वाधीन भारत में समाचार पत्रों ने अपने मानदण्ड और उद्देश्य निर्धारित किए जिनमें स्वतंत्र भारत को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसमें भारत के लोगों की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से संबंधित आवश्यकताओं को शामिल किया गया।

समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और नवमाध्यम सभी में समय के साथ-साथ बदलाव आया है। वर्तमान समय ई-मीडिया का हो चुका है, मोबाइल हो या कम्प्यूटर पलक झपकते ही समाचार पत्र, रोजगार पत्र, शिक्षा, व्यापार, और मनोरंजन आदि की जानकारी मिल जाती है। यहां तक की उनसे जुड़े ऐप के जरिए मिनट-मिनट की जानकारी एसएमएस के माध्यम से आकर आपको एलर्ट करती रहती है।

समाचार पत्र पहले मात्र सूचना के रूप में हुआ करते थे आज हर क्षेत्र की जानकारी अपने में समेटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र रेडियो का हो या टेलीविजन का बदलाव हर किसी में आया है। जानकारी चाहे देश की हो या विदेश की पलक झपकते ही हमारे कम्प्यूटर की स्क्रीन पर आ जाती है। रोजगार से जुड़ी जानकारी के लिए अब हमें लम्बी-लम्बी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है बस एक क्लिक से रोजगार की सभी जानकारी हमारे सम्मुख होती है। इंटरनेट सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बिन्दु है। सूचना आदान-प्रदान के एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफार्म को पत्रकारिता ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ इंटरनेट पत्रकारिता या 'वेब जर्नलिज्म' के एक नये युग का सूत्रपात हो गया है। इंटरनेट माध्यम को 'न्यू मीडिया' या नया माध्यम भी कहते हैं।

समाचार पत्रों की विकास यात्रा

भारतीय समाचार-पत्रों का इतिहास यूरोप के लोगों के आगमन के साथ-साथ प्रारम्भ हुआ। भारत में पहला मुद्रणालय पुर्तगालियों द्वारा 1550 ई0 में स्थापित किया गया। इसके लगभग सौ वर्षों के पश्चात 1684 ई0 में दूसरा 'प्रेस' अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया। इस दिशा में प्रथम प्रयास जेम्स ऑगस्टस हिकी ने किया, जिन्होंने पहला समाचार-पत्र 'बंगाल गजट' के नाम से निकाला। इस समाचार-पत्र का दृष्टिकोण उग्र होने के कारण इसने अपने प्रकाशन के प्रारम्भ में ही भ्रष्टाचार और शासन की निष्पक्ष आलोचना करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया। इसके पश्चात एक ऐसा ही पत्र नवम्बर, 1780 ई0 में 'इंडिया गजट' के नाम से प्रकाशित हुआ। इसके बाद भारतीय प्रेस में तीव्र गति से विकास हुआ।

अठारहवीं शताब्दी के अंत तक बंगाल से 'कलकता कैरियर', 'एशियाटिक मिरर', मुम्बई से 'गजट' और चेन्नई से 'मद्रास गजट' आदि समाचार पत्र प्रकाशित किए गए। इनमें परस्पर सहयोग की भावना होती थी। इसके अतिरिक्त ये समाचार पत्र प्रतिदिन नहीं प्रकाशित होते थे, बल्कि अलग-अलग दिन प्रकाशित होते थे। 1807 ई० में पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा पैम्फलेटों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया।

अंग्रेजी समाचार पत्र केवल पाठकों के मनोरंजन के अनुरूप खबरों को प्रकाशित करते थे। भारतीय भाषाओं का पहला समाचार पत्र बांग्ला में 1818 ई. में प्रकाशित हुआ जिसे 'समाचार-दर्पण' के नाम से जाना जाता है। 1822 ई० में 'बाम्बे समाचार' नामक गुजराती समाचार पत्र निकाला गया, जिसका प्रकाशन अब भी होता है। वहीं अनेक कठिनाइयों के होने बावजूद पं० युगल किशोर शुक्ल ने उदन्तमार्तण्ड नामक प्रथम हिन्दी पत्र 30 मई 1826 ई० में कोलकाता से प्रकाशित किया। भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह पत्र प्रकाशित किया गया। परन्तु बंगाल में हिन्दी का प्रचलन न होने के कारण यह पत्र 04 दिसंबर 1827 ई० को हमेशा के लिए अस्त हो गया।

1857 ई० की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्रांति के बाद भारतीय समाचार पत्रों ने पाठकों तक समाचार पहुंचाने के अपने प्राथमिक उद्देश्य का निर्वाह ही नहीं किया, अपितु उन्होंने देश में राष्ट्रवादी भावना को भी प्रोत्साहित किया। सितम्बर 1861 ई० में 'बोम्बे टाइम्स' 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के नाम से प्रकाशित होने लगा। भारतेंदु जी के आगमन से हिन्दी पत्रकारिता को एक नई दिशा मिली। अतः 15 अगस्त, 1867 ई. को काशी से भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने 'कविवचन सुधा' मासिक पत्रिका का आरंभ करके हिन्दी पत्रकारिता के विकास में अपना योगदान दिया। मेरठ से गिरप्रसाद सिंह ने 'मंगल समाचार' प्रकाशित हुआ। साथ ही 'विद्यादर्श' भी मेरठ से प्रकाशित हुआ। 15 अक्टूबर, 1873 ई. में भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' मासिक पत्रिका निकाली। 1874 ई. में इसका नाम बदलकर 'हरिश्चन्द्रिका' हो गया। इसकी 500 प्रतियां निकलती थीं। इसकी प्रतियां सरकार भी खरीदती थी, परन्तु इसके देशभक्तिपूर्ण लेखों को देखकर सरकार ने इसे लेना बंद कर दिया। 1880 ई. में इसे 'मोहनचंद्रिका' में मिला दिया गया और चार वर्षों तक संयुक्त रूप से प्रकाशित होती रही।

01 जनवरी, 1874 ई. को भारतेंदु जी ने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए 'बालबोधिनी' नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की। इसके संपादक, मुद्रक और प्रकाशक हरिश्चंद्र स्वयं ही थे। इसके प्रथम अंक के प्रथम पृष्ठ पर जो निवेदन छपा है, वह नारी जागरण के लिए महत्वपूर्ण है—“ मेरी प्यारी बहना! मैं एक तुम्हारी नई बहन बालबोधनी, आज तुम लोगों से मिलने आयी हूँ, और यही इच्छा है तुम लोगों से सब महीनों में एक बार मिलूँ : देखो मैं तुम सब लोगों से अवस्था मैं कितनी छोटी हूँ, क्योंकि तुम सब बड़ी हो चुकी हो और मैं अभी जन्मी हूँ, और इस नाते से तु सबकी छोटी बहन हूँ, पर मैं तुम लोगों में हिल-मिलकर सहेलियों और संगिनी की भांति रहना चाहती हूँ। इसमें मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर

और आंचल खोलकर यही मांगती हूँ कि मैं जब कभी भली-बुरी, कड़ी-नरम, कहनी-अनकहनी कहूँ, उसे मुझे अपनी समझकर क्षमा करना, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगी सो तुम्हारे हित की कहूँगी।”

01 सितंबर, 1877 ई. को 'भारतेन्दु मंडल' के वरिष्ठ सदस्य पं. बालकृष्ण भट्ट ने अपनी मनोभावना को जनता तक प्रेषित करने के लिए 'हिन्दी प्रदीप' पत्रिका हिन्दी प्रवर्धनी सभा के माध्यम से प्रयाग से प्रकाशित की। पत्रकारिता के दृष्टिकोण से 'हिन्दी प्रदीप' का जन्म एक क्रांतिकारी घटना थी, क्योंकि इसने हिन्दी पत्रकारिता को नई दिशा दिखायी। यह पत्रिका अंग्रेजी सरकार की कड़ी नजर में रहती थी। पत्रिका के एक अंक में पं. मालव शुक्ल की 'बम क्या है' नामक कविता प्रकाशित हुई। फलतः सरकार ने इस पर रोक लगा दी। मोतीलाल घोष द्वारा सम्पादित साप्ताहिक 'अमृत बाजार पत्रिका' प्रारम्भ में बांग्ला में छपता था, लेकिन 1878 ई0 में लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी में साप्ताहिक रूप में छपने लगा और 1891 ई0 में यह दैनिक पत्र हो गया। चेन्नई से 1878 ई0 में अंग्रेजी में 'द हिन्दू' साप्ताहिक के रूप में शुरु हुआ तथा 1889 ई0 में यह दैनिक पत्र हो गया।

19वीं शताब्दी की हिन्दी पत्रकारिता का विकास बड़ी ही विषम परिस्थितियों में हुआ। समय-समय पर अनेक पत्रों का उदय हुआ, तो वहीं अंग्रेजी सरकार द्वारा नये-नये कानून बनाकर भारतीय प्रेस को पंगु बना रही थी, इसके बावजूद भी हिन्दी पत्रकारिता प्रगति के पथ पर अग्रसर रही। 1907 ई. में साप्ताहिक पत्रों में 'अभ्युदय' और 'हिन्दी केसरी' का नाम उल्लेखनीय है। 'अभ्युदय' के उद्भावक महामना मदनमोहन मालवीय थे। मालवीय जी इससे पहले कालाकांकर से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दोरथान' के भी संपादक थे।



'भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, 1910 के द्वारा स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भी मुद्रणालय के स्वामी अथवा समाचार पत्र के प्रकाशक से पंजीकरण जमानत मांग सकें। सरकार को उसकी जमानत जब्त करने तथा उनके पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार दिया गया।

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशक को समाचार पत्र की दो प्रतियाँ बिना मूल्य सरकार को देने का प्रावधान था। 1921 ई0 में तत्कालीन वायसराय की कौंसिल के विधि सदस्य तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समाचार पत्र समिति की नियुक्ति की गयी, जिसकी सिफारिशों पर 1908 और 1910 ई0 के अधिनियम रद्द कर दिए गए।

भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी विशेष योगदान रहा है। उन्होंने 'यंग इंडिया' तथा 'हरिजन' के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार किया। भारत की जनता को एक बड़े आन्दोलन के प्रति जाग्रत करने का बीड़ा उठाया।

1910-1920 ई0 के मध्यम उर्दू पत्रकारिता भी विकसित हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ता से 'अलहिलाल' और 'अलविलाग' तथा मौहम्मद अली ने 'हमदर्द' का प्रकाशन किया। लाहौर से 'तालीफ-व-इश्आद' तथा 'मासिक बच्चों का अखबार' प्रकाशन में आया। 1913

ई० में 'गदर' पत्र का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को से शुरू हुआ।



1919 ई. स्व० राजेन्द्र प्रसाद ने 'देश' और माखनलाल चतुर्वेदी ने साप्ताहिक 'कर्मवीर' निकाला। इसके अलावा दीप से दीप जले, साहित्य देवता, युग चरण पर लिखा। 1921 ई. में साहित्यिक उत्थान को बढ़ावा देने वाली एक मासिक पत्रिका 'माधुरी' प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से श्री विष्णु नारायण भार्गव ने किया। शिवपूजन सहाय, वृन्दावनलाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', इलाचन्द जोशी, प्रेमचन्द्र, रूपनारायण पाण्डेय आदि साहित्यकारों ने इस प्रेस द्वारा अपने विशिष्ट ग्रंथों को प्रकाशित कराकर हिन्दी साहित्य में स्थान बनाया। 1923 ई. में कोलकाता से 'मतवाला' जैसे साहित्यिक व्यंग्य-प्रधान साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन हुआ। महाड़ से लौटकर डा. अम्बेडकर ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए 13 अप्रैल 1926 ई. में बहिष्कृत भारत पत्र निकाला। इनका उद्देश्य समाज से अछूत शब्द को निकाला और सबको समान समझने का अधिकार दिलाना था।

1938 ई. में नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था। जिसका उद्देश्य देश को आजाद कराना था। यह अंग्रेजी भाषी पत्र है। ब्रिटिश सरकार ने इसे 1940 ई. में बंद कर दिया। पुनः शुरुआत 2017 में बंगलौर से हुई है।

सरकार द्वारा समय समय पर भारतीय प्रेस पर दबाव बनाने के लिए बहुत से अधिनियम बनाए गए। समाचार पत्रों ने इन नियमों का कड़ा विरोध किया और हरिजन, नेशनल हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस आदि समाचार पत्रों ने विरोध में अपना प्रकाशन बंद कर दिया। 'ऑल इंडिया न्यूज पेपर्स एडिटर्स' की 'स्टैंडिंग कमेटी' ने सरकार से इन प्रतिबंधों को हटाने पर जोर दिया पर सफलता न मिलने के कारण सम्पूर्ण भारत के समाचार पत्रों ने हड़ताल कर दी जिसकी वजह से 06 जनवरी 1943 ई० देश में कोई भी पत्र-पत्रिका प्रकाशित नहीं हो सकी। प्रेस की इस एकजुटकता से बाध्य होकर मात्र 06 दिनों बाद ही इन प्रतिबंधों को हटाना पड़ा।

1947 ई. के पश्चात् पत्र-पत्रिकाओं के क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। पत्रकारिता का

दायरा अब चहुँ ओर बढ़ रहा था। अनेक पत्र-पत्रिकाएं बहुचर्चित हुईं, जिनमें धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादिम्बनी, आजकल, आलोचना, नवनीत, नयी कविता, नयी धारा, निकष, ज्ञानोदय, कल्पना, कहानी, सारिका, माध्यम, दस्तावेज, लहर, पूर्वग्रह, गृहशोभा, चम्पक, नन्दन, मनोहर कहानियां, सरिता, दिनमान, रविवार, इतवारी पत्रिका, ब्लिट्ज, करुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति, सुषमा, पराग, चन्दा मामा, लल्ला, बालभारती, चन्नू-मुन्नू, नन्हीं दुनिया, बाल लीला, तितली, ज्ञान भारती, इन्द्रजाल कामिक्स, बाल जगत, शिशु बंधु, चमकते सितारे, मनमोहन, खेल खिलाड़ी, प्रतियोगिता सम्राट, क्रिकेट सम्राट, नन्हे सम्राट, प्रतियोगिता किरण, इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, रोजगार समाचार, रोजगार समग्र, एमप्रोयमेंट न्यूट, रोजगार दर्पण आदि सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् पत्रकारिता के क्षेत्र में जो भी विकास हुआ, उसे स्वतंत्रयोतर पत्रकारिता के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त वर्णित पत्रिकाओं में से अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्तमान में बंद हो चुका है।

स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रेस कानूनों के पुनरीक्षण के लिए एक प्रेस कानून जांच समिति नियुक्त की गई। इसकी सिफारिश पर **पुनरीक्षित प्रेस 'आपत्तिजनक सामग्री अधिनियम 1951'** बना, जिसे 1957 में समाप्त कर दिया गया। 1952 में गठित **प्रथम प्रेस आयोग** की रिपोर्ट 1954 में आई। 1955 में **श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम** और 1956 में **संसद की कार्रवाई 'प्रकाशन का संरक्षण' अधिनियम** प्रभाव में आया। इसे **फिरोजगांधी एक्ट** कहा गया। बाद में **सामाचार-पत्र 'मूल्य और पृष्ठ' अधिनियम 1956** आया। केंद्र सरकार ने **दैनिक समाचार-पत्र 'मूल्य और पृष्ठ' आदेश 1960** जारी किया, जिसके अनुसार कोई भी समाचार-पत्र मूल्य बढ़ाए बिना अतिरिक्त पृष्ठ नहीं छाप सकता था, परन्तु 1962 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान की धारा **19 1 ए** के द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप माना तब सरकार ने इस कानून को कालातीत हो जाने दिया।

प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों पर अमल करते हुए प्रेस काउन्सिल एक्ट 1965 के तहत 1966 में प्रेस परिषद की स्थापना की गई। आपातकाल के समय भारत रक्षा अधिनियम 1971 पारित कर कड़े दंड के प्रावधान किए गए। 26 जून, 1975 में एक आदेश जारी करके समाचार-पत्रों पर सेंसरशिप लागू की गई जो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव हार जाने और आपातकाल समाप्त होने के बाद 22 मार्च, 1977 को वापस ले ली गई। आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन की रोकथाम हेतु एक अध्यादेश 8 दिसंबर, 1975 को राष्ट्रपति ने जारी किया और इसे 1976 में अधिनियम की शक्ति दे दी गई। जनता पार्टी सरकार ने इसे 9 अप्रैल, 1977 को समाप्त कर दिया। प्रेस परिषद् अधिनियम 1965 और संसदीय कार्रवाई 'प्रकाशन का संरक्षण' 1956 अधिनियम भी जनता पार्टी की सरकार ने निरस्त कर दिए। उसने व्यापक प्रतिनिधित्व और अधिकारों के साथ प्रेस परिषद् के पुनर्गठन के उद्देश्य से प्रेस परिषद् अधिनियम 7 सितंबर, 1978 को पारित किया।

आजादी के बाद इस धारणा को बढ़ावा मिला कि लेखकीय अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश न लगाया जाय। दैनिक पत्रों में अनेक बार विशेष प्रकार की परिशिष्टियों का समावेश किया। ये परिशिष्टियां हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक

आविष्कार, महिला जगत, खेलकूद, पर्यटन, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों से संबंधित होती है। वर्तमान समय में बहुचर्चित हैं उनमें दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र, नवभारत टाइम्स, नई दुनिया, जनसत्ता, जनवाणी, राष्ट्रीय सहारा, राजस्थान पत्रिका, सांध्य टाइम्स, दैनिक भास्कर, देशबंधु, युग धर्म, वीर अर्जुन, वीर प्रताप, राष्ट्रदूत, सन्मार्ग, नवजीवन, प्रदीप, आज, स्वतंत्र भारत, आर्यावर्त, विश्वमित्र, नवभारत, दैनिक समाचार मेल प्रमुख है। इसके अलावा साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएं धर्मयुग, इंडिया टुडे, सखी, लोटपोट, सरिता, चंपक अन्य प्रमुख हैं।

रेडियो का उद्भव एवं विकास

एक निजी रेडियो क्लब द्वारा छोटे रेडियो ट्रांसमीटर पर प्रायोगिक तौर पर रेडियो स्टेशन की शुरुआत से अब तक रेडियो प्रसारण का सफरनामा बड़ा ही रौचक रहा है। दुनिया में प्रसारण के क्षेत्र में चल रहे कार्यों से भारत बहुत पीछे नहीं रहा। भारत में पहला रेडियो स्टेशन 1921 में आरंभ हुआ।

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत अनौपचारिक रूप से नवम्बर सन् 1923 में रेडियो क्लब आफ बंगाल, कलकत्ता द्वारा एक छोटे से मारकोनी ट्रांसमीटर पर की गई। जून 1924 बंबई रेडियो क्लब ने भी ऐसे ही एक एक ट्रांसमीटर पर रेडियो प्रसारण की शुरुआत की। मद्रास प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना 16 मई 1924 को हुई। सन् 1927 में सरकार और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बीच एक समझौते से प्रसारण का एक नया प्रयास हुआ। जिससे भारत में पहला रेडियो समाचार 23, जुलाई, 1927 में मुंबई केंद्र से प्रसारित हुआ। उसी वर्ष अगस्त माह में कलकत्ता से प्रसारण की शुरुआत हुई। सन् 1930 में कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद होने पर लोगों द्वारा इसे जारी रखने के लिए सरकार से अनुरोध किया जाने लगा। जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह तय किया कि इस सेवा को प्रयोग के रूप में दो वर्ष तक चलाया जाए। इस संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम 8 जून 1936 को **ऑल इंडिया रेडियो** कर दिया गया। सन् 1941 में सूचना और प्रसारण विभाग बना। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद इसे मंत्रालय बना दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रेडियो ने अपने विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी हैं।

चंदा समिति सन् 1964 में प्रसारण सुधार के लिए चंदा समिति का गठन किया गया। भारत के पूर्व महालेखापरीक्षक अशोक चंदा इस समिति के अध्यक्ष थे। जोशी कमेटी प्रसारण माध्यमों के कामकाज की समीक्षा को लेकर सरकार ने समय-समय पर कई अन्य समितियां का गठन किया है। 1982 में दूरदर्शन के लिए साफ्टवेयर प्लान तैयार करने के लिए **जोशी समिति** का गठन किया गया। वर्गीज कार्यदल प्रसारण सुधार को लेकर 1977 में वर्गीज कार्यदल का गठन किया गया। सन् 1989 में प्रसार भारती बिल संसद में लाया गया। इसे प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री पी. उपेंद्र ने कहा था कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाएगा तथा वह सही अर्थों में भारत के लोगों का प्रतिनिधि स्वर बनेगा।

प्रसार भारती बिल सन् 1990 में पारित हुआ, लेकिन इसे लागू करने से पूर्व ही सरकार गिर गई। इसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद सन् 1997 में प्रसार भारती कानून लागू हो सका। विविध भारती सन् 1957 से विविध भारती सेवा आरंभ की गई। इस दौरान शास्त्रीय संगीत को अधिक महत्व दिया गया।

रेडियो की सुलभता और उसकी आम आदमी तक पहुंच ने उसे लाकप्रिय माध्यम बनाये रखा है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो एक इंद्रिय 'श्रवण' पर केंद्रित है। मार्शल मैक्लूहन ने इसे हाट मीडियम की संज्ञा दी है। टेलीविजन के आ जाने से भी शहरी क्षेत्रों में रेडियो की लोकप्रियता पर फर्क पड़ा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रेडियो ने अपनी पेट अभी भी बनायी हुई है। भारत सरकार भी किसानों से जुड़ी जानकारी के बहुत से कार्यक्रम का प्रसारण ज्यादातर रेडियो पर ही करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने भी जन-जन तक पहुंच बनाने के लिए रेडियो को ही अपना माध्यम बनाया है और अपने मन की बात के साथ ही वो देश के विकास से जुड़ी बातों के बारे में भी देश की जनता को विस्तार से बताते हैं। मनोरंजन के रूप भी रेडियो ने काफी कार्य किया है वर्तमान समय में बहुत से ऐसे रेडियो चैनल हैं जिन पर श्रोताओं के मनोरंजन के लिए गानों के साथ ही बहुत के विविध प्रोग्राम भी प्रस्तुत करते हैं। एफ0एम0 प्रोग्रामों के आगमन के साथ रेडियो का विस्तार बढ़ा है। एफ0एम0 प्रोग्रामों के कारण हर वर्ग और आयु के लोगों का रुझान रेडियो के तरफ हुआ है। एफ0एम0 की विभिन्न फ्रिक्वेंसी पर एक ही समय पर अलग अलग बहुत से प्रोग्रामों प्रसारण होता है जिस कारण हर श्रोता को अपने हिसाब से प्रोग्रामा को चुनने की आजादी मिल जाती है।

सामुदायिक रेडियो देश भर में ऐसे स्थानों पर लगाये जाते हैं जो भौगोलिक स्तर पर कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं, दूर दराज के गांव हैं या छोटे कस्बे। शिक्षा समूहों की संचार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी स्कूलों और अन्य शैक्षिक स्थानों को एफ एम ट्रांसमीटर लगाने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में भी कई सालों से शिक्षण संस्थान आईआईएमटी विश्वविद्यालय द्वारा रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्स चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जा रही है।

टेलीविजन की प्रासंगिता

भारत में टेलीविजन का सबसे पहले प्रसारण दिल्ली में 15 सितंबर, 1959 में किया गया। साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक एवं दैनिक प्रसारण की यात्रा तय करते हुए आज दूरदर्शन के कई सेटलाइट चैनल तथा टेलीस्ट्रीयल 'भू-स्थित ट्रांसमीटर' चैनल कार्यरत हैं। 1982 के बाद से टेलीविजन ने अपने विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी हैं। इन्सेट श्रृंखला के उपग्रहों के कारण अब दूरदर्शन की न केवल पहुंच बढ़ी है, बल्कि दूरदराज के इलाकों से समाचारों की कवरेज 'सेटलाइट न्यूज गेदरिंग-एस एन जी' भी बढ़ी है। टेलीविजन प्रसारण के नौ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं।

वर्तमान समय में कई राज्यों की राजधानियों से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण प्रतिदिन किए

जाते हैं। कई चैनल चौबीस घंटे प्रसारण करते हैं। अब दूरदर्शन में डिजिटल ब्रांडकास्टिंग के एक नये युग का सूत्रपात हो चुका है। दूरदर्शन ने डीटीएच चैनल शुरू कर दिया है, जिस पर एक साथ दूरदर्शन के सभी केंद्रीय और क्षेत्रीय चैनल और कुछ निजी 'फ्री टू एअर चैनलों के कार्यक्रम तथा आकाशवाणी के कुछ प्रमुख चैनल सीधे उपग्रह से लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं। दूरदर्शन ही टेलीटेकस्ट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला प्रसारण संगठन है।

केबल प्रसारण देश में उपग्रह के माध्यम से चैनलों की शुरुआत 1990 में हुई। इस समय भारत में लगभग 150 टेलीविजन चैनल विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। जब से टीवी सेटों की संख्या बढ़ी तो केबल ऑपरेटरों के लिए एक नया और मुनाफा देने वाला बाजार अचानक खुल गया। इससे यह उद्योग पिछले दो दशकों में काफी तेजी से बढ़ा है।

पहले प्रसारण उपग्रह के सी. बैंड पर होते थे, जिनके लिए बड़े आकार के डिश एंटीना की आवश्यकता होती थी। साथ ही पे-चैनलों और फ्री-टू-एअर चैनलों तथा अलग-अलग उपग्रहों पर उपलब्ध प्रसारणों के लिए अलग-अलग दिशाओं में डिश एंटीना लगाने होते हैं, जिन्हें फिर केबल ऑपरेटर मल्टीप्लेक्सिंग कर एक केबल के माध्यम से उपभोक्ता के घर तक पहुंचाता है। वर्तमान में बहुत सी निजी कम्पनियों जैसे विडियोकॉन, एयरटेल, टाटा स्काय और डिश टी. वी. डी.टी.एच. सेवा प्रदान कर रही है जिसके लिए प्रतिमाह निर्धारित शुल्क देना होता है जबकि दूरदर्शन की सेवा निःशुल्क है।

नवमाध्यम की उपयोगिता

वेब जर्नलिज्म से एक नये युग का सूत्रपात हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं को लाभ के साथ-साथ परंपरागत पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। आज लगभग हर स्तरीय समाचार-पत्र, रेडियो और टेलीविजन प्रसारक की अपनी वेबसाइट हैं। इंटरनेट के जमाने में बेवसाइट पर न्यूज पढ़ने वालों की तादात आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। आज की मीडिया मास मीडिया नहीं बल्कि न्यू मीडिया के तौर पर जाना जा रहा है। मीडिया विशेषज्ञ भी कहने लगे हैं कि मीडिया का भविष्य अब वेब जर्नलिज्म है।

अखबारी दुनिया में टैक्स्ट के रूप में खबर अपना रंग रूप पाती है तो दूसरी तरफ वेब जर्नलिज्म में विजुअल और ऑडियो की मदद से खबर को विस्तारपूर्वक समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। विकसित देशों में वेब जर्नलिज्म विस्तार पूर्ण रूप से हो चुका है। अब बात चाहे अमेरिका की हो या लंदन की वेब जर्नलिज्म ने प्रिंट मीडिया के क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार कर लिया है। चूंकि भारत अभी विकासशील देश है और विकास की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इस कारण प्रिंट मीडिया के सामने वेब जर्नलिज्म एक कड़ा प्रतियोगी बनकर उभर रहा है। वेब जर्नलिज्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा की वेब जर्नलिज्म भारत में भी प्रिंट मीडिया के क्षेत्र पर अधिकार जमा लेगा।

इंटरनेट/ सोशल नेटवर्किंग जहां अभी तक जनअभिव्यक्ति के परंपरागत माध्यम रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र रहे हैं। वहीं इंटरनेट का प्रचलन बढ़ने से जनअभिव्यक्ति को नया आयाम

मिला है। वर्तमान समय में इंटरनेट युवा वर्ग का अभिन्न हिस्सा बन गया है, शिक्षा से लेकर रोजगार के आवेदन तक हर जगह इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी सोशल साइट्स का बोलबाला है जो समाज के सामने अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने की पूरी आजादी देती है, जिनमें फेसबुक, ट्वीटर और इंस्टाग्राम प्रमुख हैं। वर्तमान समय युवाओं के बीच लोकप्रिय भी हैं।

जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं कि मिशन से शुरू हुई पत्रकारिता आज कई चरणों से गुजरते हुए व्यवसायीकरण के दौर में आ चुकी है। प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहां तक की न्यू मीडिया ने भी अपने शुरुआती स्वरूप के मुकाबले अमूल-चूल परिवर्तन किए हैं। आज मीडिया में जनसहभागिता बढ़ी है। जिस कारण मीडिया का प्रभाव भी सर्वत्र दिखायी दे रहा है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इस तरह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। ठीक उसी तरह अब सूचना के अभाव में भी मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए मीडिया की प्रासंगिकता कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी।

References

- *Acharaya, R.N.; 1987 : Television in India: A Sociological study of Policies and Perceptive, Manas Publication, New Delhi*
- *Agarwal, B.C. and Malek M.R.; 1986 : Television in Kheda : A Sociological Evaluation of SITE, Concept publishing Co., New Delhi*
- *Chandra, Kandan K; 2001 : Mass Media and Interpersonal Communication for Social Awaking, Authors Press Global, New Delhi*
- *Sidharth, Books; 2015 Yadi Baba Na Hote, Authors Balaji Printers, New Delhi.*
- *Prashant Kumar ;2015 Bharat Main Radio Prasaran, A.R. Publisher, New Delhi.*
- *Savita Chadha;2004 History And Media, Rajsurya Publisher, Delhi.*
- *Dr. R.R. Bhatnager; 2003 The Rise and Growth of Hindi journalism, Vishwavidyalaya Prakashan, Varanasi.*
- *Dr. Harimohan;2004 Radio & Television Journalism, Takshila Publication, New Delhi.*
- *Dr. Chandra Prakesh;2003 Media laikhan, Sanjay Publication, New Delhi.*

मीडिया कल, आज और कल
निशा सिरोही, डॉ० महावीर सिंह, डॉ० प्रशांत कुमार
